

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1293/2021


दिनांक : 7.06.2021

श्री चेतन कुमार गोयल (RJ0764), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-08, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-आमेर) को दिनांक 07.04.2021 से 09.04.2021 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 10.04.2021 से 14.04.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गोयल की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-09, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-आमेर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-08, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-आमेर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
05-06-2021  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/47/2013/3273

दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं मेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1983 दिनांक 24.05.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री चेतन कुमार गोयल (RJ0764), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-08, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-आमेर)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-08, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-आमेर)।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-09, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-आमेर)।

  
महानगर रजिस्ट्रार